

आवश्यक  
नगरपालिका आम चुनाव, 2022



**राज्य निर्वाचन आयोग,**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

पत्र संख्या -न0नि0 50-253/2022 - 5868

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 8.12.22

**विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 — मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अंदर समाचार के कवरेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कर्मियों को प्रवेश पत्र/प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

**प्रसंग : आयोग कापत्रांक 4479 दिनांक 27.09.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा 224 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अंदर समाचार के कवरेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कर्मियों को प्रवेश पत्र/प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

2. उल्लेखनीय है कि CWJC No. 12514/2022 एवं समरूप अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.10.2022 को दिये गये न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम चरण के दिनांक 10.10.2022 एवं द्वितीय चरण के दिनांक 20.10.2022 के मतदान को तत्काल स्थगित किया गया था। **आयोग का पत्रांक 5708 दिनांक 30.11.2022** नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 2731 दिनांक 09.09.2022 के आलोक में 224 नगरपालिका का आम निर्वाचन **प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022** सम्पन्न कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। (पत्र संलग्न)

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में 224 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अंदर समाचार के कवरेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कर्मियों को प्रवेश पत्र/प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में **पुनः निर्देश दिये जा रहे हैं।**

**4.(क) मतदान के संबंध में:**

(i) पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में मतदाताओं के फोटो लिए जाने में



कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु वगैर आयोग अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा दिए गए प्राधिकार पत्र के इन्हें मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही कोई फोटो खिंचने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में फोटोग्राफर/पत्रकार को मतदान कोष्ठ (जहाँ मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है अथवा ई.वी.एम. के माध्यम अपनी पंसद के अभ्यर्थी से संबंधित बटन दबाता है।) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

- (ii) प्राधिकार पत्र का सत्यापन कर लेने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी मीडियाकर्मियों को मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान कोष्ठ (जहाँ मतदाता ई.वी.एम. के माध्यम अपनी पंसद के अभ्यर्थी से संबंधित बटन दबाता है, को छोड़कर) प्रवेश करने की अनुमति देगा। प्राधिकार पत्र निर्गत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतदान केन्द्र में मीडिया कर्मियों की अनावश्यक भीड़ न हो; उनके कारण मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को कोई असुविधा न हो तथा मतदान की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग न हो। अगर पीठासीन पदाधिकारी को यह महसूस हो कि मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से मतदान की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो रही है, तो वह मीडिया कर्मियों को तुरंत बाहर जाने का आदेश दे सकता है। मीडिया कर्मियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी कि पीठासीन पदाधिकारी के निदेशों का उन्हें अक्षरशः पालन करना होगा।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम में एक से अधिक व्यक्ति रहने पर **प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर भी उन्हें एक साथ मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु मतदान केन्द्र के बाहर कतार में मतदाताओं के फोटो/विडियोग्राफी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।**

**(ख) मतगणना के संबंध में:**

- (i) मतगणना केन्द्र परिसर में भी मीडिया कर्मी हेतु बैठने के लिए अलग से मिडिया सेंटर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें टेलीफोन सेट एवं टीवी सेट की व्यवस्था रहेगी। मतगणना के समय निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक राउण्ड के परिणाम की घोषणा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से करेगा, जिसका साउण्ड बॉक्स मतगणना केन्द्र के बाहर होगा। मतगणना के सीमित कवरेज के लिए ऑडियो विजुअल समूहों (audio-visual groups) को मतगणना के प्रभारी पदाधिकारी के नियंत्रण में अंदर जाने की इजाजत दी जा सकती है। मतगणना कक्षों से प्रत्येक पद के लिए प्राप्त निर्वाचन परिणाम की विवरणी की एक प्रति कोषांग के प्रभारी द्वारा प्राप्त कर मिडिया कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात इसकी प्रति दूरदर्शन/ आकाशवाणी / लोक सूचना ब्यूरो को दी जा सकती है। निर्वाचन परिणाम आयोग के वेबसाइट पर अपलोड होगा। **किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत मीडिया कर्मी का मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**
- (ii) मिडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतगणना केन्द्र में मीडिया कर्मियों की अनावश्यक भीड़ न हो; उनके कारण मतगणना कर्मियों को कोई असुविधा न हो। अगर निर्वाची पदाधिकारी को यह महसूस हो कि मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से मतगणना की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो रही है, तो वह मीडिया कर्मियों को तुरंत बाहर

जाने का आदेश दे सकता है। मीडिया कर्मियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी कि निर्वाची पदाधिकारी के निदेशों का उन्हें अक्षरशः पालन करना होगा।

5. मतदान एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश के इच्छुक मिडिया कर्मियों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिनांक 12.12.2022 तक संबंधित मिडिया कर्मियों से आवेदन प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ आयोग को प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया जायेगा। विभाग उन्हीं मिडियाकर्मी का नाम अग्रसारित करेगा जिनकी मौलिकता (genuineness) के संबंध में वह आश्वस्त हो तथा वह पी0आई0बी0 द्वारा मान्यता प्राप्त (accredited) विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की अनुशंसा युक्तियुक्त संख्या के अधीन ही की जानी चाहिए।

6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दिनांक 12.12.2022 तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विभाग की अनुशंसा के साथ आयोग को भेजेगा। विभाग द्वारा टुकड़े-टुकड़े (piece-meal) में प्राप्त अनुशंसाओं पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक आवेदक को अपने नाम, पद, समाचार एजेन्सी/ समाचार पत्र/ पत्रिका/ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है एवं क्षेत्र जहाँ वह कवरेज हेतु जाना चाहता है, का पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन देना होगा। एक आवेदक अपनी इच्छानुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए स्वतंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक मिडिया टीम में एक से अधिक व्यक्ति रहने पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग प्राधिकार पत्र लेने की आवश्यकता होगी। (प्रपत्र संलग्न)

8. किसी भी परिस्थिति में कोई भी बहुप्रयोजनीय (omnibus) प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा नहीं दिया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूक्ष्मतापूर्वक सभी अनुरोध पत्रों को देखते हुए एवं सभी संगत कारकों (factors) को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसा युक्ति-युक्त सीमा के अन्दर आयोग को भेजनी चाहिये।

9. आयोग सीधे किसी व्यक्ति/ एजेंसी से कवरेज का अनुरोध सामान्यतः स्वीकार नहीं करेगा। यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेवारी होगी कि प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाए तथा ठीक समय पर आयोग को अनुशंसाएं भेज दी जाए।

10. जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को प्राधिकार पत्र आयोग के उप सचिव के हस्तलिखित हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। हस्ताक्षर की अनुलिपि (facsimile) अथवा रबर स्टाम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आयोग एवं जिला स्तर पर निर्गत प्राधिकार पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी जिसमें मीडिया कर्मी का नाम एवं प्राधिकार पत्र का क्रमांक उल्लिखित रहेगा। अनुमोदित सूची के नामों को दूसरे व्यक्ति के नाम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

11. निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य किसी अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार है एवं यह उसका उत्तरदायित्व भी है कि बिना प्राधिकार पत्र वाले व्यक्तियों को मतदान / मतगणना केन्द्र से दूर रखे।

12. प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा अधिरोपित उन शर्तों के अध्वधीन होंगे जो उन प्राधिकार पत्रों पर अंकित रहेंगे। किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकार पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

13. सरकारी मीडिया, यथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं केन्द्रीय अथवा राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी, सूचना निदेशालय/ क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय के अधिकारी आदि को मतगणना केन्द्र / मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में कोई विशेष रियायत या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अन्य मीडिया कर्मियों की तरह प्राधिकार पत्र रहने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विदेशी मीडिया/पत्रकारों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे। किसी को भी विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी आयोग के निदेशों को विपरीत मीडिया को सुविधा देता है या दिए जाने की इजाजत देता है तो इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाएगा।

14. मतदान केन्द्र / मतगणना कक्ष के अन्दर पत्रकारों/फोटोग्राफरों के प्रवेश के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वे सभी दिशा निर्देश दूरदर्शन/टी.वी. चैनल के फोटोग्राफर/संवाददाताओं के मामले में भी लागू होंगे।

15. मतदान केन्द्रों / मतगणना केन्द्रों में प्रवेश हेतु दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र का नमूना संलग्न है। इसकी पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर ली जाएं तथा सभी पर लगातार क्रमांक अंकित कर उसे आवश्यकतानुसार निर्गत किया जाए। निर्गत किए जाने वाले प्राधिकार पत्रों की पंजी भी संधारित की जाए जिसमें मुख्य details उल्लिखित हों।

17. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित कर्मियों जिन्हें प्रवेश पत्र/ प्राधिकार पत्र निर्गत करेगा उन्हें कोविड-19 के दिशा-निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।


विश्वासभाजन,

  
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-234/2021 5868

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग में वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 8/12/22

  
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 5868

प्रतिलिपि, आयोग के सभी प्रेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 8/12/22

  
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 5868

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 8/12/22

  
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 5868

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।


पटना, दिनांक - 8/12/22

  
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 5868

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 8/12/22

  
सचिव।

मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अंदर समाचार के कवरेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से  
संबंधित कर्मियों को प्रवेश पत्र/प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु  
प्रपत्र

आवेदक को अपने नाम,	पदनाम,	समाचार एजेंसी/ समाचार पत्र/ पत्रिका/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	क्षेत्र जहाँ कवरेज करना चाहते हैं
1	2	3	4

हस्ताक्षर -

पूरा नाम -



4. कृपया नोट करें कि मतदान कक्ष के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

## राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना

**प्राधिकार पत्र**  
(मतदान केन्द्रों में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु)

**अहस्तान्तरणीय**  
(जारी करने वाले प्राधिकारी की  
मोहर के बिना मान्य नहीं )

संख्या .....

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा

..... का प्रतिनिधित्व कर रहे,  
श्री/ श्रीमती/ कु ..... को वर्ष 2022 में होने वाले नगरपालिका निर्वाचन में नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/ वार्ड के मतदान केन्द्र के अन्दर, प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु प्राधिकृत करता है।

कृपया नोट करें कि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

फोटो

धारक के हस्ताक्षर



4. कृपया नोट करें कि मतगणना कक्ष के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

**राज्य निर्वाचन आयोग**  
बिहार, पटना

**प्राधिकार पत्र**  
(मतगणना केन्द्रों में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु)  
**अहस्तान्तरणीय**  
(जारी करने वाले प्राधिकारी की  
मोहर के बिना मान्य नहीं )

संख्या .....

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :

..... का प्रतिनिधित्व कर रहे,

श्री/ श्रीमती/ कु ..... को वर्ष 2022 में होने वाले नगरपालिका निर्वाचन में नीचे की सारणी में यथा

विनिर्दिष्ट..... (शब्दों में.....<sup>s</sup>.....) मतगणना केन्द्रों के अन्दर, प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु प्राधिकृत करता है।

<sup>s</sup> (की संख्या)

फोटो

धारक के हस्ताक्षर

